न्यायालय : अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़, जिला— अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शांतनु सिंह खंगारोत R.J.S.

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 23 / 109 / 2022 (194 / 2021)
सी.आई.एस. नम्बर : 358 / 2021
एफआईआर सं. : 14 / 2021
पुलिस थाना : राजगढ

राजस्थान राज्य **बनाम** उग्रेन्द्र सिंह

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा0दं0सं0
भाग—1
अ

शिकायतकर्ता	श्री छोटू सिंह
अधिवक्ता परिवादी	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व विवरण	उग्रेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद, उम्र 31 साल, निवासी देहडा बस्ती जाट तन पिनान पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री कैलाशचंद भारद्वाज

भाग —2
अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची
अ. अभियोजन साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
पी.डबल्यू 01	हरीकिशन	पुलिस साक्षी
पी.डबल्यू 02	छोटू सिंह	परिवादी
पी.डबल्यू 03	गंगाराम	पंच साक्षी
पी.डबल्यू 04	सलामुद्दीन	चश्मदीद साक्षी
पी.डबल्यू 05	गिर्राज	चश्मदीद साक्षी
पी.डबल्यू 06	मेघराज	पंच साक्षी
पी.डबल्यू 07	सीताराम	पुलिस साक्षी
पी.डबल्यू 08	बनवारीलाल	पुलिस साक्षी
पी.डबल्यू 09	डॉ0 श्वेता गोयल	चिकित्सीय साक्षी

ब. बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	सक्ष्य का प्रकार, (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)
निल	निल	निल

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण	गवाह जिसके द्वारा प्रदर्शित करवाया गया
1	प्रदर्श पी 01	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट	Pw 01
2	प्रदर्श पी 02	तहरीरी रिपोर्ट	Pw 02, 08
3	प्रदर्श पी 03	चाक एफआईआर	Pw 02, 08
4	प्रदर्श पी 04	नक्शामौका	Pw 02, 03, 06, 08
5	प्रदर्श पी 05	फर्द पंचायतनामा	Pw 02, 06
6	प्रदर्श पी 06	रसीद सुपुदर्गी लाश	Pw 02
7	प्रदर्श पी 07	फर्द जब्ती डम्पर	Pw 07, 08
8	प्रदर्श पी 08	फर्द जब्ती कागजात डम्पर	Pw 07, 08
9	प्रदर्श पी 09	133 एमवी एक्ट का नोटिस पीएमआर रिपोर्ट	Pw 08 Pw 09
10	प्रदर्श पी 10	134 एमवी एक्ट का नोटिस	Pw 08

ब. बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
निल	निल	निल

नि र्ण य **दिनांकः 04.05.2026**

01. हस्तगत पत्रावली माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के आदेश से दिनांक 22.07.2022 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 राजगढ के

न्यायालय से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। इस आपराधिक प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी छोटू सिंह ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 31.12.20 को सांय करीब 5 बजे वह और उसका जीजा रामौवतार घर से पिनान घर कार्य के लिए निकले तब धर्म कांटा के पास पहुंचे तो वे उनकी साइड में चल रहे थे तब पीछे से एक डंपर आरजे 02 जीसी 0176 का ड्राइवर डंपर को बडी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसकी बगल में उसका जीजा चल रहा था उसके जोरदार टक्कर मारी। डंपर केसीसी कंपनी का था। वह राहगीरों की सहायता से उसके जीजा को पिनान ले गए थे वहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया जिसको अलवर डीजार पटेल हॉस्पिटल में भर्ती कराया वहां से करीब 3—4 घंटे बाद रेफर कर दिया जिसको वे जयपुर महात्मा गांधी अस्पताल में लेकर गए जहां उसका इलाज दिनांक 03.01.21 तक चला वहां से बाद मे एसएमएस ट्रोमा में भर्ती कराया जिसकी दौरान इलाज 03.01.21 को सांय करीब 6 बजे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया..... इत्यादि। रिपोर्ट पर पुलिस थाना राजगढ में एफ. आई.आर नं 14/2021 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व अपराध धारा 279, 304(ए) भा0द0स0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

02. अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304(ए) भा0द0स0 का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो उसने सुन व समझ कर अपराध अस्वीकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

03. साक्ष्य अभियोजन लेखबद्व की गई। अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 द.प.स. लेखबद्व किये गये। प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई गवाह पेश नहीं करना चाहा जिसपर प्रतिरक्षा साक्ष्य बन्द की गई।

04. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित कथित कर अभियुक्त को दोषसिद्व किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरित अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त का अपराध में संलिप्त नहीं होना जाहिर करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

06. बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है किः—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.12.2020 को सायं करीब 5 बजे धर्म कांटा के पास उतावलेपूर्ण या उपेक्षा से अपने डंपर नंबर आरजे 02 जीसी 0176 को चलाते हुए मानव जीवन संकटापन्न किया। इस उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाहीपूर्वक कार्य से परिवादी के जीजा रामावतार की दौराने ईलाज मृत्यु कारित हुई, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है। अभियुक्त का उक्त कृत्य भा0द0स0 की धारा 279, 304ए के अधीन दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है?

2. यदि हॉ तो उसका उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

07. हस्तगत प्रकरण का उद्गम परिवादी छोटू सिंह द्वारा प्रदर्श पी2 तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना राजगढ में दिए जाने से हुआ। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 31.12.20 को सांय करीब 5 बजे वह और उसका जीजा रामौवतार घर से पिनान घर कार्य के लिए निकले तब धर्म कांटा के पास पहुंचे तो वे उनकी साइड में चल रहे थे तब पीछे से एक डंपर आरजे 02 जीसी 0176 का ड्राइवर डंपर को बडी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसकी बगल में उसका जीजा चल रहा था उसके जोरदार टक्कर मारी। डंपर केसीसी कंपनी का था। वह राहगीरों की सहायता से उसके जीजा को पिनान ले गए थे वहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया जिसको अलवर डीजार पटेल हॉस्पिटल में भर्ती कराया वहां से करीब 3—4 घंटे बाद रेफर कर दिया जिसको वे जयपुर महात्मा गांधी अस्पताल में लेकर गए जहां उसका इलाज दिनांक 03.01.21 तक चला वहां से बाद मे एसएमएस ट्रोमा में भर्ती कराया जिसकी दौरान इलाज 03.01.21 को सांय करीब 6 बजे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया..... इत्यादि।

08. उक्त परिवादी प्रकरण में **<u>गवाह पी.ड.2</u>** के रूप में परीक्षित हुआ है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी2 के अनुसार उक्त गवाह घटना का चश्मदीद गवाह है, जिसने स्वयं के मुख्य परीक्षण में मुख्य रूप से जाहिर किया है कि दिनांक 31.12.2020 की बात है। शाम 5 बजे वह और उसका जीजाजी सामान लेने के लिए पिनान आ रहे थे। पिनान धर्मकांटा के पास वे उनकी साइड चल रहे थे तो पीछे से एक केसीसी कंपनी का डंपर नं. आरजे 02 जीसी 0176 आया और पीछे से टक्कर मार दी जिससे उसके चोटें आई। पिनान अस्पताल में भर्ती कराया। डंपर चालक ने तेज गति व लापरवपाही से टक्कर मार दी। दौराने इलाज एसएमएस अस्पताल में मृत्यु हो गई। उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 2. चाक एफआईआर प्रदर्श पी 3 है। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 4 है। पुलिस ने मृतक रामोतार का पंचनामा कराया जो प्रदर्श पी 5 है, जिन सभी पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह स्वयं की **<u>जिरह</u>** में मुख्य रूप से जाहिर करता है कि वह दुर्घटना के समय उसके जीजाजी के साथ था। वे सामान लेने के लिए जा रहे थे। उसे पता नही कि दुर्घटना के वक्त डम्पर आरजे 02 जीसी 0176 को कौन चला रहा था। उसने ड्राईवर को नही देखा और ना ही वह उसे पहचानता है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी2 किसने लिखी व उसमें क्या लिखा था उसे पता नही, उसने तो केवल हस्ताक्षर किए थे। वे मृतक को लेकर चले गए थे पुलिस उनके जाने के बाद आ गई थी। घटना 31 तारीख की थी, फिर कहा कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर 3—4 दिन बाद उसके हस्ताक्षर नक्शामौका पर कराये। **<u>इस प्रकार</u>** गवाह जाहिर करता है कि डम्पर नंबर आरजे 02 जीसी 0176 ने पीछे से आकर उसके जीजा को टक्कर मार दी थी। गवाह ने डम्पर चालक की गलती व लापरवाही से टक्कर मारे जाने का तथ्य जाहिर किया है, किंतु जिरह से स्पष्ट रूप है कि उसे उक्त वाहन का वक्त दुर्घटना चालक कौन था, के संदर्भ में कोई जानकारी नही है। गवाह की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के पश्चात देरी से दर्ज करवाई गई है।

09. गवाह पी.ड.4 सलामुद्दीन एवं पी.ड.5 गिर्राज तथाकथित रूप से घटना के चश्मदीद गवाहान के रूप में परीक्षित हुए है। **<u>गवाह पी.ड.4 सलामुद्दीन एवं पी.</u>**

ड.5 गिर्राज मुख्य रूप से जाहिर करते है कि बयान देने के लगभग तीन वर्ष पूर्व शाम 05.00 बजे के आसपास गिर्राज की दुकान के आगे उक्त दोनो गवाह उपस्थित थे तथा इतने में ही एक ट्रक ने आकर रामवतार नाम के व्यक्ति के पीछे से टक्कर मार दी। उक्त ट्रक का नंबर आरजे 02 जीसी 0176 होना बताया है। गवाहान ने ट्रक तेजगति व लापरवाही से चलाना जाहिर किया है। उक्त दोनो गवाहान की **जिरह** से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें वक्त दुर्घटना ट्रक को कौन चला रहा था, की जानकारी नही है। **ऐसी परिस्थिति** में उक्त चश्मदीद गवाहान की साक्ष्य से दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन की पहचान उजागर होती है, किंतु वाहन के चालक की पहचान उजागर नही होती है। उक्त गवाहान जिरह में जाहिर करते है कि उनके अलावा घटनास्थल पर वक्त दुर्घटना और कोई नही था।

10. **गवाह पी.ड.1 हरीकिशन** दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन डम्पर आरजे 02 जीसी 0176 का मैकेनिकल मुआयना करने का औपचारिक गवाह है। गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि घटना के लगभग तीन माह के उपरांत वाहन का मैकेनिकल मुआयना किया गया था। ऐसी परिस्थिति में यह नही कहा जा सकता है कि ट्रक पर जो रगडक के निशान मौजूद थे, उक्त निशान दुर्घटना में ही आए थे। **गवाह पी.ड.3 गंगाराम** नक्शामौका प्रदर्श पी4 का औपचारिक गवाह है, जो स्वयं की **जिरह** में स्पष्ट रूप से जाहिर करता है कि उसे पुलिस ने यह नही बताया था कि प्रदर्श पी4 में क्या—क्या लिखा हुआ है। **गवाह पी.ड. 6 मेघराज** पंचनामा प्रदर्श पी5 एंव नक्शामौका प्रदर्श पी4 का औपचारिक गवाह है। उक्त गवाह जिरह में जिस ट्रक से दुर्घटना हुई, उसके नंबर नही पता होना जाहिर करता है। **गवाह पी.ड.7 सीताराम** फर्द जब्ती वाहन एवं कागजात प्रदर्श पी7 एवं पी8 का औपचारिक गवाह है। गवाह की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन घटना के तुरंत पश्चात जब्त नही किया गया था, बल्कि घ टना के लगभग तीन माह के उपरांत जब्त किया गया था। **गवाह पी.ड.8 बनवारीलाल** के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया था। गवाह ने मुख्य रूप से जाहिर किया है कि उसने दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान लेखबद्ध किए थे। साथ ही गवाह यह भी जाहिर करता है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर बाबूलाल को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया था, जिसमें उसने वक्त दुर्घटना वाहन उग्रेन्द्र सिंह द्वारा चलाना जाहिर किया था। गवाह **जिरह** में यह भी स्वीकार करता है कि उसने प्रकरण में अभियुक्त धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस व जवाब के आधार पर ही माना है। उक्त बाबूलाल की मृत्यु होने के कारण गवाह प्रकरण में परीक्षित नही हुआ है। **गवाह पी.ड.9** के द्वारा मृतक रामावतार का पोस्टमार्टम किया गया था।

11. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना के किसी भी चश्मदीद गवाह ने वक्त दुर्घटना डम्पर किसके द्वारा चलाया जा रहा था, के संदर्भ में कोई स्थिति स्पष्ट नही की है। उक्त डम्पर का मालिक भी प्रकरण में परीक्षित नही हुआ है। ऐसी परिस्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से यह स्पष्ट नही होता है कि वक्त दुर्घटना वाहन का चालक कौन था। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित कर पाया हो कि **अभियुक्त ने दिनांक 05.10.2015 को दोपहर 03. 30 बजे खान से घर के रास्ते में डम्पर नंबर आरजे 02 जीए 4449 को**

उतावलेपूर्ण या उपेक्षा से चलाते हुए मानव जीवन संकटापन्न किया। इस उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाहीपूर्वक कार्य से प्रार्थी लल्लूराम के चचेरे भाई मुकुट बिहारी की मृत्यु कारित हुई, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

12. अतः अभियुक्त उग्रेन्द्र सिंह पुत्र रामप्रसाद, उम्र 31 साल, निवासी देहडा बस्ती जाट तन पिनान पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13. हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगीनामें एवं जमानतनामे पर है, बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा स्वतः निरस्त समझे जावे।

14. अभियुक्त के न्यायालय में नियमित हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त धारा 437ए सीआरपीसी के तहत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु 6 माह की अवधि तक प्रभावी 10000—10000 रूपए के जमानत व बंधपत्र पेश करें।

(शांतनु सिंह खंगारोत)
अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर

15. निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(शांतनु सिंह खंगारोत)
अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर